संख्याः /XIV-2/2017/03(01)/2017

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड, काशीपुर,
जनपद–उधमसिह नगर।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांकः 16 – जनवरी, 2018

विषयः राज्य सरकार की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2016–17 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2016–17 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न मिलवार फांट के अनुसार कुल रू0 35.00 करोड़ (रू0 पैंतीस करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0सं0	नाम चीनी मिल	धनराशि (रूपये में)
1.	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सितारगंज (ऊधमसिंह नगर)	5,83,52,000.00
2.	दि बाजपुर को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर (ऊधमसिंह नगर)	7,48,37,000.00
3.	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, नादेही (ऊधमसिंह नगर)	7,02,58,000.00
4.	किच्छा शुगर कम्पनी लि0, किच्छा (ऊधमसिंह नगर)	8,32,07,000.00
5.	डोईवाला शुगर कम्पनी लि0, डोईवाला (देहरादून)	6,33,46,000.00
	कुल योग :–	35,00,00,000.00

2– उक्त धनराशि को आहरित कर सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को उपलब्ध कराई जायेगी तथा चीनी मिलों द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग मिल की ओर अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु किया जायेगा तथा इस धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य मद में कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि की फांट उक्तानुसार मिलवार गन्ना आयुक्त द्वारा चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के अनुसार किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के अधिशासी निदेशकों द्वारा गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि के भुगतान में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन होने पर इसके लिए सम्बन्धित लेखाधिकारी/अधिशासी निदेशक उत्तरदायी होंगे।

5– उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से आवश्य करायेगें।

6– उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–17 लेखाशीर्षक–2401– फसल कृषि कर्म–00–108–वाणिज्यिक फसलें– 08–अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता लेखा संक्रमण के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–146/XXVII (4)/2017,दिनांक: 16.01.2018 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या:52 /XIV-2/2017/03(01)/2017, तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
(2) जिलाधिकारी–उधमसिंह नगर।
(3) आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड, काशीपुर, जिला–उधमसिंह नगर।
(4) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, काशीपुर, उधमसिंह नगर।
(6) वित्त अनुभाग–1/वित्त अनुभाग–4/बजट निदेशालय/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।